न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 138/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/237)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. जितेन्द्र कुमार पुत्र राजपाल निवासी वार्ड नम्बर 14 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।	1. अजय कुमार गुप्ता पुत्र वेदप्रकाश गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. ईशरदास पुत्र तुलसीराम जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 3. उर्मिला देवी पत्नी लक्ष्मण दास जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 4. न्यू ट्रक यूनियन केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 5. पुष्पा देवी पत्नी गुलाबचन्द जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 6. पायल बंसल पत्नी सुनील कुमार बसंल जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 7. बृजलाल पुत्र तुलसीराम जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 8. रामप्रकाश पुत्र जुगलकिशोर जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 9. वर्षा गुप्ता पत्नी अजय कुमार गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 10. शकुंतला पत्नी मेघराज जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 11. शगुन गुप्ता पुत्री अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 24.07.2024

उपस्थितः1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी
2. श्री मोहित गोयल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4

दिनांकः 24.12.2025

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 2.358 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित खाता में वादी के नाम 0.0504 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हम पक्षकारान ने उक्त कृषि भूमि का अपनी जोत व कब्जा अनुसार आपसी सहमति से मौखिक विभाजन कर लिया था, जिसके अनुसार ही वादी व अन्य प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सा की भूमि पर निरंतर, निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण पारिवारिक मौखिक बंटवारा में प्राप्त भूमि पर कब्जा काश्त है और भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है। भूमि पृथक-पृथक चको व खाता में वर्णित है और बंटवारा किया हुआ है। रकबा का बंटवारा व काश्त के अनुसार विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 2.358 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम दर्ज भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहित गोयल उपस्थित आये व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज 0.190 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से प्रतिवादी संख्या 4 के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5 ता 11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। हस्तगत प्रकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने बाबत निवेदन किया है, शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 2.358 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी जितेन्द्र कुमार व प्रतिवादी संख्या 4 न्यू ट्रक यूनियन केसरीसिंहपुर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने पंत्राक 3412 दिनांक 02.12.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 4 को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 5 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 2.358 हैक्टेयर भूमि में से वादी के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	जितेन्द्र कुमार पुत्र राजपाल निवासी वार्ड नम्बर 14 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। (0.852 हैक्टेयर)	5 यू	19	23/1	0.050 हैक्टेयर	नहरी	0.47

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)